ग्रीनविले हेल्थ सिस्टम संबंधी नीति व प्रक्रिया

नीतिगत निर्देशिका के लिए मार्गदर्शिका

नीति का नाम : बिल प्रक्रिया व संग्रह प्रक्रिया

नीतिगत वक्तव्य: सहानुभूतिपूर्वक उपचार करने, खोजपरक ढंग से पढ़ाने, व लगातार सुधार करने वाले अपने उद्देश्यों का पालन करते हुए, ग्रीनविले हेल्थ सिस्टम (GHS) GHS की बिल प्रक्रिया व संग्रह प्रक्रिया से संबंधित शिक्षा, रोगियों व गारंटर्स तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें उन लोगों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है जो अपने संपूर्ण बिल या उसके एक हिस्से का भुगतान नहीं कर सकते।
अन्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ ग्रीनविले हेल्थ सिस्टम को खुद के लिए पर्याप्त राजस्व भी जुटाना होता है ताकि उच्च गुणवत्ता की रोगी देखभाल उपलब्ध करवाई जा सके और एक मजबूत वित्तीय स्थिति बरकरार रखी जा सके। ग्रीनविले हेल्थ सिस्टम के लिए राजस्व जुटाने के उद्देश्य से प्राथमिक साधन के तौर पर रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए संग्रह करना शामिल है, इसी वजह से रोगियों या अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से प्रतिपूर्ति सुचारू करना आवश्यक है। समुदाय के लिए अस्पताल में इलाज कराने की लागत न्यूनतम रखने के लिए, GHS ने यह नीति अपनाई है।

ग्रीनविले हेल्थ सिस्टम की सभी सुविधाएं रोगियों को नस्ल, रंग, धर्म, उम्र, लिंग या मूल राष्ट्रीयता या अन्य किसी भेदभावपूर्ण कारण के बिना उपलब्ध हैं। भुगतान में अक्षम होने की वजह से आपातकालीन सेवाओं को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। चुनिंदा सेवाओं की प्राप्ति से पहले संतोषजनक वित्तीय प्रबंध आवश्यक हैं। संतोषजनक वित्तीय प्रबंधों के बिना चुनिंदा मामले चिकित्सक की सहमति से स्वीकृत हो सकते हैं।

बिल की प्रक्रिया/भुगतान प्रबंध: GHS उन गैर-बीमित व अल्पबीमित दोनों ही प्रकार के रोगियों के लिए विकल्प पेश करता है जो वित्तीय सहायता के लिए पात्रता हासिल नहीं कर पाते। इंश्योरेंस या वित्तीय सहायता के तहत कवर न होने वाले बिलों की किसी बकाया राशि के लिए भुगतान योजनाएं बनाने में रोगियों की मदद प्रतिनिधि कर सकते हैं।

बिल की स्टेटमेंट्स व/या फोन कॉल्स के जरिए पहले नोटिस के बाद 120 दिनों की अवधि के दौरान रोगियों को उनके बिल की याद दिलवाने के लिए GHS द्वारा उनसे चार बार संपर्क किया जाएगा। 120 दिनों की इस अवधि के दौरान, रोगियों से उनके बिल के पूरे भुगतान, भुगतान योजना बनाने, या वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की उम्मीद की जाती है।

बिल की पहली तिथि के बाद 120 दिनों के भीतर बिल का भुगतान न करने या भुगतान योजना न बनाने पर क्रेडिट एजेंसी को रिपोर्ट दी जा सकती है, कलेक्शन एजेंसी या अटॉर्नी को कहा जा सकता है, या संपत्ति या निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए मुकदमा किया जा सकता है। संग्रह प्रक्रिया के दौरान रोगी ग्राहक सेवा पर

(864) 454-9604 या 1-844-302-8298 (टॉल फ्री) पर कॉल करके वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम सीमा सेवा की तिथि से 8 महीने बाद तक की है।

भुगतान योजना विकल्प: ग्रीनविले हेल्थ सिस्टम अस्पताल के रोगियों को वित्तीय सहायता (अस्पताल चैरिटी/ अस्पताल स्पॉन्सरशिप) या इंश्योरेंस उपलब्ध न होने पर भुगतान के दो विकल्प देता है:

- अवधि के दौरान घरेलू ब्याज मुक्त भुगतान बारह (12) महीनों तक के लिए।

- अगर भुगतान राशि बारह (12) महीनों से ज्यादा आवश्यक है, तो बाहरी एजेंसी द्वारा उन रोगियों के लिए ब्याज के साथ समुचित भुगतान प्रबंध उपलब्ध है जिनके पास भुगतान के लिए और कोई साधन या जरिया नहीं है और जो अस्पताल चैरिटी या अस्पताल स्पॉन्सरशिप के लिए पात्रता हासिल नहीं कर पाते हैं।

- रोगी विस्तृत वर्णन के लिए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से (864) 454-9604 या 1-844-302-8298 (टॉल फ्री) पर संपर्क कर सकते हैं।

बिल की स्टेटमेंट का चक्र: स्टेटमेंट चक्र रोगी को भेजी गई पहली स्टेटमेंट (भेजने की तिथि) से मापा जाएगा और इसमें निम्न चीजें शामिल होंगी:

- स्टेटमेंट प्रक्रिया का पालन करते हुए अनुवर्ती स्टेटमेंट्स रोगी/गारंटर को 30 दिनों की वृद्धि पर भेजे जाते हैं:
  - 1st – पहले स्टेटमेंट की तिथि
  - 2nd – पहले स्टेटमेंट के 30 दिनों बाद
  - 3rd – पहले स्टेटमेंट के 60 दिनों बाद
  - 4th – पहले स्टेटमेंट के 90 दिनों बाद और अगर राशि का भुगतान न हो या अस्पताल वित्तीय सहायता आवेदन प्राप्त न हो, तो इसमें कलेक्शन एजेंसी को भुगतान जमा करवाने का नोटिस शामिल होता है
  - 5th – पहले स्टेटमेंट के 120 दिनों बाद – इस नीति की व्यवस्था के मुताबिक, कलेक्शन एजेंसी को भुगतान जमा करवाना (कलेक्शन एजेंसी से पत्र भेजा जाता है)।
  - इस नीति की व्यवस्था के मुताबिक, द्वितीय कलेक्शन एजेंसी का इस्तेमाल किया जा सकता है

गैर बीमित छूट: गैर बीमित रोगी 20% गैर बीमित छूट पाएंगे। यह छूट पहले स्टेटमेंट में दर्शाई जाएगी। यह छूट आउटपेशेंट पैकेज प्राइसिस पर लागू नहीं है। यह छूट किसी दुर्घटना से संबंधित खाते पर तबतक लागू नहीं होगी जबतक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि इसमें कोई लायबिल्टी (देनदारी) कवरेज शामिल नहीं है।

SC रिफंड टैक्स निर्धारण: अस्पताल बिलों के जानबूझकर न चुकाए जाने वाले कर्जे राजस्व के SC महकमे में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ताकि व्यक्तिगत टैक्स रिफंड से इनकी क्षतिपूर्ति की जाए। इन खातों पर कानूनी नोटिस भेजे जाएंगे। व्यक्तिगत टैक्स रिफंड के सामने निर्धारण टालने के लिए, भुगतान 01 नवंबर तक देय है।

कानूनी नोटिस के तीस (30) दिनों के भीतर अस्पताल में एक लिखित विरोध जमा कराया जा सकता है।

महत्वपूर्ण सूचना: **यह नीति सिर्फ अस्पताल के बिल कवर करती है।**